न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :–सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

प्र.सं. 10191/2009
जीसीएमएस : 2009/00066

1. राणी पत्नी अर्जनराम जाति मेघवाल साकिन 56 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
2. गीता पुत्री अर्जनराम पत्नी घनश्याम साकिन 56 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
3. दीनदयाल पुत्र अर्जनराम जाति मेघवाल साकिन 56 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
4. राजपाल पुत्र अर्जनराम जाति मेघवाल साकिन 56 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.। –:वादीगण

बनाम

1. जेठाराम पुत्र मुखराम जाति मेघवाल साकिन 56 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
2. बुधराम पुत्र मुखराम जाति मेघवाल साकिन 56 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
3. दुल्लाराम पुत्र मुखराम जाति मेघवाल साकिन 56 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
4. हंसराज पुत्र मुखराम जाति मेघवाल साकिन 56 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
5. सोमादेवी पुत्री जाति मेघवाल साकिन 56 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
6. सुलतान पुत्र मुखराम जाति मेघवाल साकिन 56 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। –:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–92ए–188–209राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 05.02.2009

उपस्थितअधिवक्तागण

1. **श्री परमजीतसिंह मेहरा अधिवक्ता वादी**
2. **श्री प्रीतमसिंह गिल अधिवक्ता प्रति. 1**
3. **एकपक्षीय कार्यवाही प्रति सं. 2ता 6**

–: निर्णय :– **दिनांक : 20.09.2024**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं प्रतिवादी सं.1 ता 6 के पिता मुखराम उर्फ मौखराम के नाम चक 56 एन.पी. के मु.नं. 26 पं.नं. 216/338 की 2.998 है. नहरी व मु.नं. 18 पं.नं. 221/337 के 3.037 है. नहरी खातेदारी भूमि थी। मुखराम उर्फ मौखराम की मृत्यु के बाद उक्त भूमि मु.नं. 26 पं.नं. 216/338 का विरास्तन इन्तकाल प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है तथा मु.नं. 18 के 3.037 है. अभी मौखराम पुत्र धन्नाराम प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में अभी शेष है प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के नाम विरास्तन दर्ज हुई। कि मु.नं. 26 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम .333 है. रिकार्ड में भूमि दर्ज है तथा मु.नं. 18 के 3.037 है. तथा मु.नं. 25 में प्रतिवादी सं. 1 की 0.970 है. भूमि है इस प्रकार कुल भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम 2.009 है. नहरी [illegible] 11 है. प्रतिवादी सं. 1–4 व 6 अपने पिता मुखराम की उपरोक्त भू[illegible] आय से अपने नाम से खरीद की ळे जिसमं प्रतिवादी [illegible] 1 का पति व 2 ता 4 का पित अर्जनराम प्रति[illegible] का पुत्र था [illegible]त्यु हो चुकी है जिनके वादीगण जायज व कानूनी व[illegible] ससुर तथा वादीगण सं. 2 ता 4 के पड[illegible] नाम मु.नं. 26 व 18 तथा मु.नं. 25 की 2.911 है. इस भूमि की अर्जित आय[illegible] खरीद की गई है जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:54:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड ...
रायसिंहनगर

प्रतिवादी सं. 1 की बतौर विरारत्तन में 1.809 है. भूमि हिस्सा में आई है। जिस पर प्रतिवादी स. 1 काबिज होकर काश्त कर रहा है। क्योकि वादीगण का पति व पिता अर्जनराम प्रतिवादी सं. 1 का पुत्र था इसलिए पैत्रिक सम्पति में मृतक अर्जनराम की जद्दी जायदाद होने के कारण अपने पिता जेठाराम के बराबर हक व हिस्सा बनता है इसलिए मृतक अर्जनराम के हिस्सा में 0.905 है. भूमि आती है तथा अर्जनराम की मृत्यु के बाद यह हिस्सा वादीगण के पक्ष मे निहित हो चुका है इसलिए वादीगण मृतक अर्जनराम के हिस्सा की भूमि 0.905 हे. के खातेदार घोषित करवाने के विधिक रूप से अधिकारी है। चूकिं प्रतिवादी सं. 1 अपने पुत्र अर्जनराम की मृत्यु के बाद वादीगण को कोई हिस्सा नहीं देना चाहता है तथा अन्य प्रतिवादीगण के बहकावा मे आकर इस भूमि को येन केन प्रकारेण बेचान करने पर आमदा है तथा उसने एलानिया धमकी देनी शुरू कर दी है कि उसने अपने हिस्सा की भूमि में से कोई भी हिस्सा वादीगण को नहीं देगा तथा तमाम भूमि को बेचान करके खुर्द–बुर्द कर देगा अथवा प्रतिवादी सं. 2 ता 6 के नाम करवा देगा वादीगण को जब प्रतिवादी सं. 1 के इस अकृत्य की जानकारी हुई तो उन्होने अपने मौतबीर आदमियों को साथ लेकर दिनांक 21.01.2009 को गांव मे पंचायत की तथा प्रतिवादी सं. 1 को समझाया कि वे इस जद्दी जायदाद में से प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त 1.809 है. में 1/2 हिस्सा की भूमि तादादी 0.905 है. बांट कर उनकों दे दे तथा उसी अनुसार उनके नाम राजस्व किरार्ड में अमल दरामद करव देवें तो कुछ समय तक ऐसा करने का बहानाबाजी करता रहा। लेकिन बाद में ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया बस यही तारीख बिनाय मुखास्मत है तथा बिनाय दावा वादीगण को अर्जनराम के पैदायशी रोज से व उनकी मृत्यु के बाद वादीगण को प्राप्त है। प्रतिवादी सं. 1 अपने कृत्य में कामयाब हो जाता है तो वादीगण के अधिकारों का हनन होगा। जिससे उसको ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसका कोई मूल्यांकन नहीं होगा। वाद अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88–92ए–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जा रहा है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है तथा अंदर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर पेश है यह कि प्रतिवादी सं. 7 लेण्उ होल्डर है जिनकों वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण के पक्ष मे खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से फैसल एवं डिक्री फरमाया जावे। कि चक 56 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 26 के प.नं. 216/338 के 2.998 हैकृमें प्रतिवादी सं. 1 की .338 है. मु.नं. 18 पं.नं. 221/337 के 3.037 है. मे 1/6 हिस्सा की .506 हैक्टर व मु.नं. 25 पं.नं. 217/338 के 2.911 है. मे 1/3 हिस्सा .970 हैक्टर कुल तादादी 1.809 है. पैत्रिकव जद्दी जायदाद मानी जाकर वीगण के पति व पिता अर्जनराम का पैदाशी हक मानते हुए 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर मृतक अर्जनराम के नाम 0.905 है. का अमल दरामद किया जाकर बतौर विरारत्तन वादीगण के नाम इस भूमि का इन्तकाल दर्ज किए जाने की डिक्री पारित की जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 ता 5 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।प्रतिवादी सं. 1 की तरफ से श्री प्रीतमसिंह गिल अधिवक्ता ने जवाब दावा पेश किया। निवेदन किया है कि चक 56 एनपी के मु.नं. 56 पं.नं. 216/338 की 2.998 है. भूमि मोखराम के नाम नहीं है। मोखराम को चक 56 एन.पी. के मु.नं. 18 पुख्ता आवंटन हुआ था इसलिए यह भूमि वादीगण के लिय पैतृक श्रेणी की सम्पति में नही आती है। भूमि पैतृक सम्पति की श्रेणी अन्तर्गत न होने के कारण वादीगण किसी अनतोष प्राप्ति के अधिकारी नहीं है राणी किसी प्रकार से वाद लाने हेतु सक्षम नहीं [illegible] अपने पति अर्जनराम की हत्या कर दी थी इसलिए वह अर्जनराम की [illegible] मे [illegible]सा मे लेने की अधिकारी नहीं रह गई है। वादीगण [illegible] पेश किया है मृतक अर्जनराम की माता [illegible]भी उसकी [illegible] वारिस कानूनन है मगर वारिसान प्रमाण पत्र. में उस[illegible] देवी उसकी अर्थात अर्जनराम की प्रथम [illegible] को कोई भी भूमि दादा, ससुर व पड़दादा की भूमि से प्राप्त नहीं होती क्योकि भूमि पैतृक सम्पति की श्रेणी में नहीं आती है भूमि खरीदशुद्वा व आवंटन की होने के कारण वादीगण किसी भी भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:54:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण ने मिन प्रतिवादी की दो पुत्रियों को भी पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है जबकि वे भी प्रकरण की आवश्यक पक्षकार हैं। वादीगण दीनदयाल व गीता मिन प्रतिवादी के पोता व पोती है जो मिन प्रतिवादी के पास ही रहते है इसलिए वादीया राणी उनकी ओर से वाद लानू की कतई विधिक अधिकारीनी नहीं है इसलियें वाद वादीगण काबिल निरस्ती के है यहां यह उल्लेखित करना उचित होगा कि वादीया राणी सद्भावी नहीं है उसने अन्य लोगों से मिलकर अपने पति यानि मिन प्रतिवादी के पुत्र अर्जनराम की हत्या कर दी थी ओर व जारता का जीवन जी रही है उक्त तथ्यों का ज्ञान मिन प्रतिवादी के पोता व पोती दीनदयाल व गीता को होने से वे मिन प्रतिवादी व उसकी पत्नी के पास हिसमी 12 एच तहसील अनुपगढ़ में रह रहे है जो इस वाद के पेश होन के पूर्व से ही मिन प्रतिवादीगण के पास रह रहे है इसलिए वादीया राणी को वादीगण दीनदयाल व गीता की ओर से वाद पेश करने का कोई विधिक अधिकार हासिल न होने से वाद काबिल निरस्ती है उक्त बिन्दूओं को प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त आपत्तियों में दर्ज किया गया है उक्त वाद मे सरकार की तरफ से दिनांक 22.03.2011 को जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:–

1. आया कि प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के पिता मुखराम उर्फ मौखराम के नाम चक 56 एनपी के मु.नं. 26 प.नं. 216/338 की 2.998 है. नहरी तथा मु.नं. 18 पं.नं. 221/337 की 3.037 है. नहरी खातेदारी भूमि थी। –:वादीगण
2. आया कि मुखराम उर्फ मौखराम की मृत्यु के बाद चक 56 एन.पी. के मु.नं. 26 की 2.998 है. भूमि का इन्तकाल प्र.वा.सं.–1 ता 6 के नाम दर्ज हो चुका है तथा मु.नं. 18 का इन्तकाल दर्ज होना शेष है। –:वादीगण
3. आया कि मु.नं. 26 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मु.नं. 26 में 0.333 है., मु.नं. 18 में 3.037 है. मे 1/6 हिस्सा की .506 है., मु.नं. 25 में प्र.वा.सं.–1 की 0.790 है. भूमि है और इस प्रकार प्र.वा.सं.–1 के नाम 1.809 है. नहरी भूमि है। –: वादीगण
4. आया कि मु.नं. 25 की 2.911 है. भूमि प्र.वा.सं.–1, 4 व 6 ने अपने पिता मुखराम की आये से स्वयं के नाम से खरीदी है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है। –:वादीगण
5. आया कि वाद ग्रस्त भूमि वादी के लिये पैतृक संपति की श्रेणी में आती है, जिसमें वादीगण का 0.905 है. रकबा है। –: वादीगण
6. आया कि प्रविवादीगण के विरूद्व वादग्रस्त भूमि के रहन बैय करने एवं मुन्तकिल करने के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। –:वादी
7. आया कि वादग्रस्त भूमि चक 56 एन.पी. के मु.नं. 26 की 2.998 है. भूमि मौखराम के नाम नहीं है। –: वादी
8. आया कि मु.नं. 18 की भूमि मौखराम को आवंटित हुई थी और इस कारण वादग्रस्त भमि वादी के लिये पैतृक संपति की श्रेणी में आती है। –:वादी
9. आया कि वादीगण ने वारिसनामा गलत पेश किया है जिसके कारण वाद वादी खारिज होने योग्य है। –: प्रतिवादी सं. 1
10. आया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वयं की खरीदशुद्वा एवं आवंटित होने के कारण पैतृक जद्दी–जायदाद की श्रेणी में नहीं आती है, और इस कारण वाद वादी खारिज योग्य है। –:प्रतिवादी सं. 1
11. आया कि वाद वादी पक्षकारों के असंयोजन [illegible] खारिज योग्य है। –:प्रतिवादी सं. 1
12. आया कि वादीगण दीनद[illegible] पोता एवं पोती है तथा प्र. वा.सं.–1 के पास रहते है इस [illegible] इनकी [illegible] लाने की अधिकारी नहीं है। –: प्रतिवादी सं. [illegible]
13. आया कि वादी राणी ने [illegible] आधार [illegible] पेश किया है, और इस कारण प्रतिवादी 15000 रूपये बतौर हर्जाना पाने का हकदार है। –: प्रतिवादी सं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:54:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

14. अनुतोष ।

4 वादीगण की तरफ से परमजीतसिंह मेहरा ने राणी का शपथ पत्र पेश किया। अन्य प्रदर्श पेश किये जो शामिल मिसल किया गया।

5 प्रतिवादी सं. 1 की तरफ से श्री प्रीतमसिंह गिल अधिवक्ता ने शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

6 प्रार्थी गीता एवं दीनदयाल ने दिनांक 09.09.2024 को स्वयं श्री भूपेन्द्र चौहान अधिवक्ता के साथ प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र में सं. 2 व 3 वादी के रूप में हम अंकित है विवादित रकबा में से कोई हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहत है ना ही अपने हक तक के वाद मे कोई कार्यवाही चाहते है ना ही चलाना चाहते है। वादी प्रस्तुती दौरान मिन वादीगण नाबालिग थे उनकी माता की ओर से वाद लाया गया था, वादीगण बालिग हो चुक है और अपना भला–बुरा भलीभांति समझते है। वादीगण की हद तक के वाद की कार्यवाही मौजूदा स्तर पर समाप्त कर दाखिल दफतर किये जाने के आदेश दिये जावे।

7. अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। वादी सं. 2 व 3 दावा नहीं चलाने का प्रार्थना पत्र पेश कर अपने हद तक वाद की कार्यवाही समाप्त कर वाद दाखिल दफतर करने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 जेठाराम व वादी सं. 1 ता 4 उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा वादी सं. 1 व 4 को मु.नं. 26 में उसके नाम दर्ज 0.333 है0 भूमि वादीनी सं. 1 व वादी सं. 4 को देने की सहमति प्रकट की है

8. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। वादी सं. 2 व 3 दावा नहीं चलाने का प्रार्थना पत्र पेश कर अपने हद तक वाद की कार्यवाही समाप्त कर वाद दाखिल दफतर करने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 जेठाराम व वादी सं. 1 ता 4 उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा वादी सं. 1 व 4 को मु.नं. 26 में उसके नाम दर्ज 0.333 है0 भूमि वादीनी सं. 1 व वादी सं. 4 को देने की सहमति प्रकट की है उक्त विवेचन के आधार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88–92ए–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, का प्रकरण भली–भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। चक 56 एन.पी के मु.नं. 26 की कुल 0.333 है. भूमि जो जेठाराम पुत्र मुखराम के नाम दर्ज है को वादीगण 1 व 4 को बहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है और तहसीलदार रायसिंहनगर को बहिस्सा बराबर–बराबर रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो।पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:54:07 IST
Reason: SelfAttested